विवरणिका

Syed Degree College
Saidpur (Budaun)

SYED DEGREE COLLEGE SAIDPUR (BUDAUN)
ESTD. 2001

कालेज कोड-311

सम्बद्धता महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली

Syed Degree College, Saidpur (Budaun)

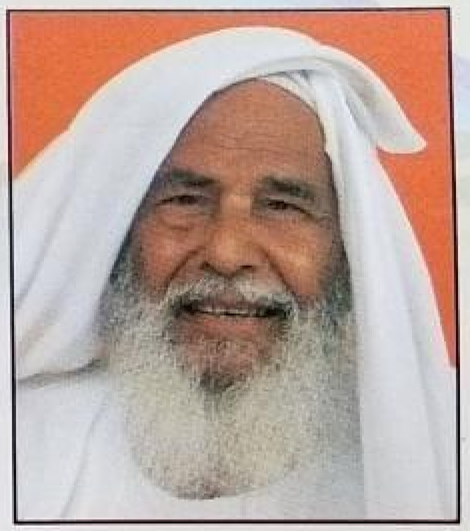

सन्देश

इस महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के साथ आता है और उनकी लक्ष्य-प्राप्ति में यह शिक्षा संस्था यथोचित योगदान करती है। नवागन्तुक एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुझे आशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का चहुमुखी विकास करेगें और समाज एवं देश सेवा के कार्य में जुट जायेगें। इसके अतिरिक्त जीवन-मूल्यों के निर्धारण, सुसंस्कारों एवं सद्‌गुणों के विकास, समय-नियम के महत्व, सामाजिकता, राष्ट्रीयता की भावना तथा उत्कृष्ट चरित्र निर्माण आदि से न केवल अपने परिवार अपितु इस महाविद्यालय को गौरवान्वित करेगें। मेरी ख्वाहिश है कि इस क्षेत्र की बेटियाँ कुछ ऐसा कार्य करें जिससे न केवल क्षेत्र का नाम रोशन हो अपितु देश का नाम भी रोशन हो । साथ ही मैं रूहेलखण्ड विश्व विद्यालय बरेली का भी आभारी हूँ जिनके अपार समर्थन से समाज-सेवा के इस पुनीत कार्य में सफलता प्राप्त हुई।

हाजी सैय्यद शाहब अली
प्रबन्धक

मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंजिल,
मगर लोग मिलते गए और कारवाँ बनता गया।

सन्देश

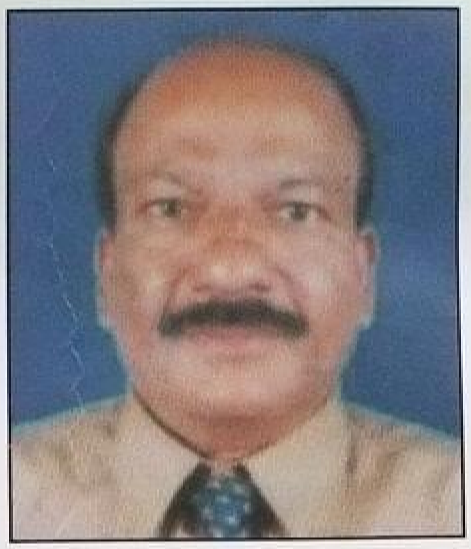

इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं एवं नये प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से मेरा निवेदन है कि वह इस महाविद्यालय एवं अपने परिवार को गौरवन्वित करने के उद्देश्य से तथा क्षेत्र के शैक्षिक स्तर को सुधारने एवं शिक्षा का सही इस्तेमाल कर एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर अपने क्षेत्र एवं देश को गौरवान्वित करने के उद्देश्य से प्रवेश लें। इस महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का सोर्स–सिफारिश नहीं चलती है तथा सभी धर्मों के मानने वालों को समान समझा जाता है क्योंकि यही इस राष्ट्र की धरोहर है।

सैय्यद शाहिद अली

नशेमन पे नशेमन कुछ इस तरह तामीर किये जा,
के बिजली आप गिरते गिरते बेजार हो जाए।

सन्देश

मैं समस्त अध्ययनशील तथा नवीनतम छात्र/छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य तथा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग की भावना को प्रोत्साहित कर उनकी चिरायु की कामना करता हूँ।

सैय्यद साजिद अली

अंधेरी रात में फक़त शमा जलाये रखिये
सहर होने को है माहौल बनाए रखिये।

सन्देश

मनुज निर्माण की वृहद प्रयोगशाला है । इस महान देश/क्षेत्र की गौरवशाली शिक्षा संस्था सैय्यद डिग्री कालेज सैदपुर (बदायूँ) में प्रवेश हेतु पधारे सभी नवांगतुक छात्र-छात्राओं का अपार हर्ष एवं उल्लास सहित अभिनन्दन करते हुए महाविद्यालय परिवार अभिभूत है। उच्च शिक्षा के इस परम सोपान तक पहुँचने के लिए, जीवन के नव स्पप्न बुनने एवं उनको साकार करने के लिए इस महाविद्यालय के चयन हेतु आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभआशीर्वाद।

हम चाहेंगे कि महाविद्यालय परिवार वर्तमान सत्र एक ऐसे शैक्षिकणिक अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करे, जो आने वाले वर्षों के लिए उदाहरण बन सके। ऐसी हार्दिक अभिलाषा है।

(डा0 शैलेन्द्र कुमार)
कार्यवाहक प्राचार्य

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों हेतु प्रवेश पूर्व विशेष सूचनाएँ

1. बी.एड./बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से महाविद्यालय में कक्षा में अपने-अपने विषयों के शिक्षण के समय उपस्थित रहना होगा।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। इससे कम होने पर वह वि0वि0 परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह न हो सकेगा, जिसके उत्तरदायी छात्र और अभिभावक स्वयं होगें।
4. कोई भी छात्र/छात्रा यदि रैगिंग/शिक्षकों एवं अन्य महाविद्यालय कर्मचारीगण एवं अन्य छात्र/छात्राओं से अभद्रता/व्यर्थ विवाद/तोड़-फोड़ करते पाया जाता है तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
5. सत्र में तीन व्याख्यान विभिन्न विषय विशेषज्ञ महाविद्यालय में व्याख्यान माला के अन्तर्गत व्याख्यान हेतु आमंत्रित होगें। व्याख्यान माला से सम्बन्धित विषयों के छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिावार्य होगी।
6. माननीय उच्च न्यायालय उ0प्र0 इलाहाबाद के रिट पिटीशन के निर्णयानुसार महाविद्यालय में छात्र संघ पर पूर्णयता प्रतिबन्ध है। यदि कोई छात्र/छात्रा महाविद्यालय में छात्र संघ के गठन अथवा चुनाव की माँग करता है, इसके लिए छात्रों को उकसाता है और मीटिंग या आन्दोलन करवाता है तो उसे माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की दोषी माना जायेगा।महाविद्यालय प्रशासन ऐसे छात्र/छात्राओं को अविलम्ब महाविद्यालय से निष्कासित कर देगा।
7. छात्र/छात्राएँ कालेज परिसर के बाहर खेत तथा बाग में न जायें।
8. महाविद्यालय की छात्रायें खाली समय में छात्रा-कक्ष (गर्ल्स कॉमन रूम) का प्रयोग करें।
9. प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं को सम्पूर्ण प्रवेश सम्बन्धी दस्तावेज देना अनिवार्य होगें । जांच के उपरान्त यदि कोई विवरण या दस्तावेज कम या असत्य पाया जाता है तो प्रवेश समिति को आपका प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा ।

सय्यद डिग्री कालेज, सैदपुर, बदायूँ

प्रगति की ओर अग्रसर कदम

शहर के कोलाहपूर्ण वातावरण से दूर प्रकृति के सुरग्य परिवेश एवं सौहार्द-पूर्ण परिवेश में स्थित सय्यद डिग्री कालेज सैदपुर (बदायूँ) जनपद की एक मात्र अल्पसंख्यक संस्था है। जो जनपद के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र कस्बा सैदपुर की उच्च-शिक्षा का एक मात्र संस्था है।

इस विशाल काया वृक्ष की नींव सन् 1982 कस्बा सैदपुर में जन्मे सेठ सय्यद शाहब अली के मुम्बई के ताज होटल में सय्यद शाहब अली वैलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट की घोषणा कर की इस अवसर पर (उस समय की विधायक वर्तमान में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटेल एवं मुम्बई की मुख्यमन्त्री एवं अनेक केन्द्रय मन्त्री भी उपस्थित रहे। जिसका एक मात्र उद्देश्य अपने पिछड़े क्षेत्र कस्बा सैदपुर का शैक्षिक स्थर को ऊपर उठाना था। इसी के चलते प्रबन्धक सय्यद शाहब अली ने सन् 1983 में कस्बे का एक मात्र सय्यद गालिब अली ताकिब अली मै0 इण्टर कालेज की स्थापना की जिससे सैकड़ों छात्र/छात्राऐं लाभान्वित हो रहे हैं। इसके उपरान्त अपने पिता का क्षेत्र के प्रति शिक्षा के प्रेम को देखकर एवं अनसे प्रभावित होकर आपके पुत्र सय्यद जाहिद अली (वकील साहब) ने एल.एल.एम. की शिक्षा पूर्ण कर अपने पिता के महान कार्य में सहयोग की दृष्टि से मुम्बई छोड़ कस्बा सैदपुर का आगमन किया और पाया पिछड़े क्षेत्र कस्बा सैदपुर एवं आसपास के सैकड़ों छात्र/छात्राऐं इण्टर के बाद या तो अध्ययन त्यागते हैं या दूर-दराज क्षेत्रो में शिक्षा अध्ययन करने जाते हैं, जिससे उनको अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से प्रभावित होकर सय्यद शाहब अली जी ने उच्च शिक्षा के लिए सन् 1999 ई0 को प्रयास किया तथा सन् 2001 ई0 को रुहेलखण्ड वि0वि0 के कुलपति जाहिद हुसैन जैदी एवं जिला बदायूँ के तत्कालीन जिलाधिकारी मानवीय श्री राजाराम उपाध्याय जी के कर कमलों द्वारा इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ और तब से यह संस्थान निरन्तर प्रगति के नये आयामों को स्थापित करते हुए अपनी ख्याती चारों ओर प्रदर्शित कर रहा है, पर सय्यद शाहब अली एवं सय्यद जाहिद अली (वकील साहब) के मन में एक बात बार-बार सता रही थी कि किस प्रकार से मेरे इन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार परख शिक्षा प्राप्त हो सके जिससे यह शिक्षित वर्ग कुन्ठा का शिकार न सके, इसके निमित्य आप दोनों ने रोजगार परख शिक्षा बी.एड. का प्रयास सन् 2003 ई0 से प्रारम्भ कर दिया और 2004 में एन.सी.टी.ई. द्वारा सय्यद डिग्री कालेज सैदपुर को 100 सीटों के साथ अनुमति प्रदान की तथा सन् 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ एवं रुहेलखण्ड वि0वि0 के द्वारा सय्यद डिग्री कालेज सैदपुर को बी.एड. संकाय से नवाजा ओर तब से वर्तमान तक इस संकाय के छात्र/छात्राऐं 100 प्रतिशत उत्तीर्ण एवं 98 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और यह संस्था वर्तमान में नये-नये कीर्तिमानों को स्थापित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बी.एड. संकाय को लाने में प्रबन्धक महोदय जेष्ट पुत्र सय्यद शाहिद अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा जो मुम्बई के समाज सेवी एवं राजनीति में एक अहम मुकाम हासिल किये हुए है। इसके बाद आप लोगों के अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या एवं उनके शैक्षिक स्तर को और अधिक ऊँचा उठाने एवं सरकार द्वारा जो सुविधायें अल्पसंख्यकों को दी जा रही है उनका सीधा फायदा उनको पहुँच सकें इसके निमित्य आपने सन् 2009 से प्रयास किया और 2011 में इसमें सफलता हासिल की, जब अल्संख्यक आयोग नई दिल्ली ने इस संस्था को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र जारी किया। इस सम्पूर्ण कार्य में आपका सहयोग अपने जेष्ट पुत्र सय्यद शाहिद अली एवं अनुज सय्यद जाजिद अली जी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रबन्धक जी के अनुज जिनका मानना है कि शिक्षा को आधुनिकरण किया जाये उक्त के निमित्य सय्यद साजिद अली जी ।

आपने पिछड़े क्षेत्र के शिक्षित युवा वर्ग को आधुनियक कप्यूटर शिक्षा से जोड़ने हेतु एवं उनके स्तर को चार चाँद लगाने हेतु स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा एवं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एवं स्नातक अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को बी. एड. प्रवेश परीक्षा की कक्षायें मुफ्त चलवाना आपका एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य रहा है। जिससे सैकड़ों छात्र/छात्राऐं

लाभान्वित होकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

आपके द्वारा न केवल शिक्षा के प्रचार-प्रसार किये गये अपितु अनेकों सामाजिक कार्य आपके द्वारा निःस्वार्थ भाव से किये गये जैसे- बस स्टाप का निर्माण, नल लगवाना, अनेकों मदरसों, सिलाई कढ़ाई केन्द्र आदि की स्थापना कर और आगे भी इस निमित्य बिजली घर महिला अस्पताल का प्रयास जारी रखा गया है।

सय्यद डिग्री कालेज, सैदपुर (बदायूँ) की प्रबन्ध समिति के उत्साहपूर्ण प्रयत्नों, योग्य शिक्षक वर्ग के उत्सर्ग, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अभूतपूर्व योगदान एवं जनता और छात्रों के सहयोग से इसके विकास-क्रम में यह आशा कि महाविद्यालय भविष्य में उच्च शिक्षा की एक प्रबल एवं समृद्धशाली शिक्षा संस्था के रूप में चिरकाल तक सुप्रतिष्ठित रहेगा। प्रबन्धक जनाब सय्यद साहब अली की यह हार्दिक इच्छा एवं संकल्प है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ''सय्यद डिग्री कालेज, सैदपुर'' जनता के लिए न केवल वरदान अपितु कभी कभी न बुझने वाली मशाल बनकर निरन्तर प्रगति के उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए ज्ञान की रोशनी बिखेरता रहे। आज महाविद्यालय के पास लगभग 800 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है।

महाविद्यालय की विशेषताएँ:

1. महाविद्यालय में वर्ष-पर्यन्त अध्यापन कार्य नियमित रूप से चलता है एवं निर्धारित पाठ्यक्रम फरवरी मास के अन्त तक अवश्य पूरा करा दिया जाता है।

2. वर्ष-पर्यन्त महाविद्यालय में अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं अनुशासन भंग होने की दशा में छात्र/छात्रा को दण्डित भी किया जाता है।

3. छात्राओं को खाली समय में बैठने हेतु अलग रीडिंग रूम की व्यवस्था है।

4. महाविद्यालय परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को आदर्श प्रश्न बनाने एवं लिखने का उचित ढंग बताया जाता है।

5. महाविद्यालय बीए एवं बीएड के विगत वर्षों का परीक्षा-परीणाम 100 प्रतिशत रहा है।

पुस्तकालय:

महाविद्यालय में एक उच्चकोटि के पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसमें छात्र/छात्राओं के अध्ययन कार्य में सहायतार्थ लगभग 5000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध है। स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए लगभग 2000 पुस्तकें तथा बी.ए विभाग के लिए 3000 पुस्तकें वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुसार पुस्तकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में लगभग 80 पत्र-पत्रिकायें आती है। सभी स्तर के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्यक्रम में संदर्भित सन्दर्भ एवं सहायक ग्रन्थों के अवलोकन के अतिरिक्त अपने मानसिक विकास, रूचि परिमार्जन तथा चिन्तन शक्ति के विकास हेतु पाठ्यक्रमोत्तर पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन करें।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम :

1. महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्रायें पुस्तकालय के सदस्य होंगे । प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय में निर्धारित निश्चित अन्तिम तिथि तक पंजीकरण करवाना आवश्यक हे ।

2. पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर ही दी जायेंगी ।

3. एक कार्ड पर एक बार में केवल एक ही पुस्तक निर्गत होगी ।

4. साधारणतः पुस्तक 14 दिन के लिए निर्गत होती है । जिन पुस्तकों की कमी होगी उनकों कम समय के लिए दिया जा सकता है । समय पर पुस्तक न लौटाने पर प्रति पुस्तक 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड देना होगा ।

5. पुस्तक के फटने, खराब होने, बीच से पृष्ठ गायब होने या पुस्तक खो जाने पर विद्यार्थी को उस पुस्तक के स्थान पर नई पुस्तक देनी पड़ेगी अथवा उसकी वर्तमान कीमत अर्थदण्ड सहित देने पड़ेगी । इसलिए पुस्तक निर्गत कराते समय उसकी दशा से पूर्णतः सन्तुष्ट हो लें ।

6. पुस्तकें निर्गत कराने या लौटाने का समय प्रातः 1 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का है ।

7. जिस विद्यार्थी का अपना पुस्तकालय कार्ड खो जायेगा उसको 50 रु. कार्ड के दण्ड स्वरूप पुस्तकालय में जमा करने पर ही दूसरा कार्ड मिल सकेगा ।

8. पुस्तक निर्गत कराने के लिए विद्यार्थियों को अपना परिचय-पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।

9. वार्षिक परीक्षा से पूर्व पुस्तक व पुस्तकालय कार्ड विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से लौटाना होगा अन्यथा प्रवेश-पत्र वितरित नहीं किया जा सकता ।

10. ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी को पुस्तक नहीं दी जायेगी ।

पुस्तकालय में वाचनालय सम्बन्धी नियम

विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान एवं प्रतिदिन के समाचारों की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के पत्र-पत्रिकाओं के पठन-पाठन हेतु महाविद्यालय के पुस्तकालय में ही एक वाचनालय की भी व्यवस्था है । जहाँ विद्यार्थी अपने अवकाश के घण्टों में बैठकर विभिन्न प्रकार के पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं । वाचनालय कक्ष में प्रमुख दैनिक समाचार पत्र-पत्रिकायें विद्यार्थियों के लिए रखी जाती है, जिन्हें वे अपना परिचय-पत्र देकर वहीं पढ़ने हेतु प्राप्त कर सकते हैं ।

बुक बैंक

महाविद्यालय में बुक–बैंक की व्यवस्था भी है जिनमें योग्य, निर्धन विद्यार्थियों को वर्ष भर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं । प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्रायें निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर पुस्तकालयाध्यक्ष को दे सकते हैं । चयनित विद्यार्थियों के नाम सूचना पट पर लगा दिये जाते हैं जो निर्धारित शुल्क जमा करके वर्ष–पर्यन्त पढ़ने के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं । जिनको सत्र समापन पर बुक–बैंक को वापस कर दी जाती है और बुक बैंक जमा धनराशि में से कुछ प्रतिशत रुपया काटकर विद्यार्थियों को जमा शुल्क वापस कर देता है । आवेदन करने एवं पुस्तकें वापस करने की तिथि सूचना पट पर घोषित कर दी जाती है ।

कम्प्यूटर केन्द्र :

आज के वैज्ञानिक युग में युवा–समुदाय के लिए तकनीकी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक होती जा रही है । इस विचारधारा से प्रेरित हो एक पृथक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना इस महाविद्यालय में की गई है जिसकी सहायता से युवा–वर्ग सक्षम रूप से तकनीकी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर देश की उन्नति में भागीदार बन रहे हैं ।

चिकित्सा सुविधा :

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था करायी गयी है । किसी भी छात्र/छात्रा के चोट लगने अथवा अचानक अस्वस्थ होने पर चिकित्सक तक पहुंचने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने की पूर्ण व्यवस्था है । यह प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता चीफ प्राक्टर के निर्देशन में उपलब्ध कराई जाती है ।

पेयजल/जनरेटर व्यवस्था :

परिसर में शुद्ध एवं शीतल जल के साथ–साथ जनरेटर की भी व्यवस्था है । एक्वागार्ड एवं वाटर कूलर के द्वारा छात्र/छात्राओं हेतु स्वच्छ एवं शीतल जल का समुचित प्रबन्ध है, लाइट न होने पर जनरेटर द्वारा बिजली की व्यवस्था भी महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध है ।

छात्रवृत्तियां/शुल्क प्रतिपूर्ति :

महाविद्यालय में शासन द्वारा की जाने वाली अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक निर्धन छात्रवृत्ति तथा गरीब सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति चेक द्वारा

प्रदान की जाती है। जिसका प्रार्थना पत्र छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा दी गई तिथि तक जमा करना आवश्यक होगा, अन्तिम तिथि के बाद जमा फार्मो पर विचार नहीं किया जायेगा।

अल्पसंख्यक संस्था :

1. बी.एड. सत्र 2012-13 से अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यक कोटे के आधार पर भरी जायेंगी ।

2. अल्पसंख्यक आयोग द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा ।

अतिथि व्याख्यान मालाः

छात्र/छात्राओं के ज्ञानवर्धन की जिज्ञासा एवं विशिष्ट ज्ञान की पिपासा को पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय में बी.ए./बी.एड. के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को त्रैमासिक आधार पर आमन्त्रित कर अतिथि व्याख्यान कराये जायेंगे जिसमें विषय (जिसके विशेषज्ञ व्याख्यान हेतु आमन्त्रित हैं) के समस्त छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अतिरिक्त व्याख्यान व्यवस्थाः

सय्यद डिग्री कालेज फरवरी माह में प्रति एक विषय के अतिरिक्त व्याख्यान की व्यवस्था की गई है जिसमें छात्र/छात्राओं को विश्व विद्यालय परीक्षा सम्बन्धित दिशा निर्देशों तथा विषय से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है।

परिचय-पत्रः

महाविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं को (पूर्णरूपेण भरा हुआ, चीफ प्राक्टर द्वारा हस्ताक्षरित) परिचय-पत्र साथ रखना अनिवार्य है। यदि कोई भी विद्यार्थी बिना परिचय-पत्र के साथ महाविद्यालय प्रांगण में पाया जाता है तो उसका महाविद्यालय परिसर में प्रवेश निषेध होगा तथा उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में दण्ड के साथ 50/- शुल्क जमा करने पर दूसरा परिचय-पत्र चीफ प्राक्टर के लिखित आदेश पर प्राप्त किया जा सकता है।

वेश-भूषा :

छात्रों को सफेद कमीज व कोकोला पैन्ट, कोकोला टाई एवं छात्राओं को कोकोला सूट एवं सफेद सलवार व चुन्नी आवश्यक है। शीतकाल में भूरा ब्लेजर छात्र व छात्राओं के लिए आवश्यक है ।

सत्यापन:

अपनी अंक-तालिका एवं अन्य सर्टिफिकेट के सत्यापन हेतु पहले कार्यालय से सम्पर्क करें, जहाँ मूल (Original) प्रति से मिलान करने पर ही प्राचार्य या वरिष्ठ प्राध्यापक अपने हस्ताक्षर करेगें।

अनुशासन एवं अनुशासन समितिः

महाविद्यालय का पुनीत उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर उन्हें श्रेष्ठ महान नागरिक बनाना है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, अनुशासन एवं कर्मनिष्ठा पर निर्भर करती है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए प्रबन्ध तन्त्र ने महाविद्यालय में 'अनुशासन समिति' का गठन किया है जिसका नेतृत्व प्राचार्य के निर्देशन में किया जाता है। अनुशासन भंग करने की स्थिति में विद्यार्थियों को निलम्बित या निष्कासित भी किया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियों मे कॉलेज में अभिभावकों को भी बुलाया जा सकता है और उन्हें सम्बन्धित छात्र के आचरण से अवगत कराया जाता है।

अनुशासन मण्डल के नियमः

1. महाविद्यालय प्रांगण में मोबाईल का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा ।
2. विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश करते समय अपना परिचय-पत्र साथ रखना अनिवार्य है अन्यथा उसे दण्डित किया जा सकता है।
3. विद्यार्थियों से मिलने वाले आगुन्तकों को चाहिए कि वे सम्बन्धित विद्यार्थी से सीधे न मिलकर पहले चीफ प्रॉक्टर से सम्पर्क करें।
4. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना पूर्णतया निषेध है, दोषी पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही या प्रवेश रद् किया जा सकता है।
5. बरामदे में अनावश्यक ना घूमें अपितु पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकों या पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर अपना समय व्यतीत करें।
6. महाविद्यालय की दीवारों पर कुछ न लिखें, अन्यथा कॉलेज से निष्कासित किया सकता है। किसी भी प्रकार की गोष्ठी या प्रचारत्मकता को बिना चीफ-प्राक्टर की अनुमति के आयोजित करना अनुशासनहीनता समझा जायेगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियमः

1. किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी यदि उसकी उपस्थिति किसी भी विषय में 75 प्रतिशत से कम होगी।
2. कक्षा में निलम्बन किये जाने की अवस्था में किसी भी विद्यार्थी की उपस्थिति कक्षा में मान्य नहीं है, भले ही विद्यार्थी शारीरिक रूप से कॉलेज में उपस्थिति हो।
3. कक्षा में पूरे घण्टे की उपस्थिति ही मान्य है, यदि कोई विद्यार्थी प्राध्यापक द्वारा उपस्थिति लिखे जाने के बाद चला जाता है तो उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में बदल जायेगी।
4. प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति मात्र से ही किसी भी ऐसे विद्यार्थी को जिसकी किसी भी विषय में उपस्थिति कम है, लिखित परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा।
5. महाविद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति का दायित्व महाविद्यालय का नहीं है और न ही महाविद्यालय उपस्थिति की कमी की लिखित सूचना देने के लिए बाध्य है। प्रत्येक दशा में उपस्थिति का दायित्व विद्यार्थी पर ही निर्भर है।
6. यदि कोई विद्यार्थी दैनिक कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है किन्तु वह प्रयोगात्मक अथवा संख्यात्मक कक्षाओं में आना चाहता है तो इसकी अनुमति नहीं होगी।
7. जो छात्र/छात्रा अपने वाहन (साइकिल, मोटर-साइकिल, मोटर आदि) का प्रयोग करते हैं तो उसकी घोषणा प्रवेश के समय पर करनी होगी।
8. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अध्ययन, अध्यापन एवं अनुशासन की दृष्टि से महाविद्यालय समय में अपने मित्र या सम्बन्धी को विद्यालय परिसर में अपने साथ नहीं लायेंगे।
9. छात्राओं को यदि अपने निश्चित समय से पूर्व किसी कारणवश महाविद्यालय परिसर से बाहर जाना है तो प्राचार्य/चीफ प्रॉक्टर की अनुमति लेना अति अनिवार्य होगा।
10. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन सूचना-पट पर दी गई सूचनाओं को प्रतिदिन देखना चाहिए तथा उनका अनुपालन भी करना चाहिए।

महाविद्यालय की आगामी योजनायें:

महाविद्यालय में शैक्षिक वातावरण एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनायें हैं–

1. छात्रावास:

दूर–दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रबन्ध–समिति शीघ्र ही एक छात्रावास का निर्माण करेगी, इस भवन के निर्माण से बी.ए./बी.एड. के अध्ययनार्थ दूर से आये विद्यार्थियों को सुविधा रहेगी इससे वे अपना आने जाने का समय बचाकर अध्ययन की ओर ध्यान दे सकेंगे।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना:

एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारम्भ करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान देना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में चार, एक दिवसीय शिविर एवं एक बार दस दिवसीय शिविर का आयोजन निकटवर्ती किसी गांव में किया जाता है जिसमें विद्यार्थी रात–दिन वहीं रहकर समाज सेवा का कार्य करते हैं। इससे विद्यार्थियों में समाजिकता, नैतिकता आदि की भावनाओं का विकास होता है। इसके प्रमाण–पत्र के आधार पर बी.एड., एल.एल.बी. आदि में प्रवेश हेतु प्राथमिकता मिलती है।

3. कालेज बस चलाने की योजना :

कालेज की ओर से बदायूँ व चन्दौसी मार्ग पर बस चलाने की योजना है ।

महाविद्यालय में प्रवेश-नियम

(रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार)

सय्यद डिग्री कालेज, सैदपुर (बदायूँ) में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र/छात्रायें महाविद्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करें। विवरण-पत्रिका कार्यालय से कालेज द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है। विवरण-पत्रिका में संलग्न आवेदन-पत्र छात्र/छात्रा पूर्ण रूपेण स्वच्छता के साथ भरें एवं गत परीक्षाओं का परिणाम स्पष्ट करें तथा अंक तालिकाओं की छायाप्रति को सत्यापित करा कर आवेदन-प्रपत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन-पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करते समय विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क (फीस) भी जमा करें। आवेदन-पत्र यदि अधूरा भरा है या आपके द्वारा दी गई सूचना गलत है तो आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश लेने से पूर्व ध्यानपूर्वक अपने विषयों का चयन करना होगा। इस सम्बन्ध में यदि विद्यार्थी चाहें तो विद्यालय के किसी भी प्रध्यापक से मार्गदर्शन ले सकता है। विषयों के चयन की अन्तिम स्वीकृति प्राचार्य द्वारा होगी। प्रवेश-पत्र भरते समय विद्यार्थी को यह ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी एवं उसके पिता का नाम और उसकी रूप-रेखा वही होनी चाहिए जो हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित है।

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा वह विचारणीय नहीं होगा-

1. अन्तिम शिक्षा-संस्था के प्रधानाचार्य के द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण तथा आचरण प्रमाण पत्र।
2. यदि प्रवेशार्थी ने अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है तो जब भी पढ़ा हो उस विद्यालय की टी0सी0 तथा किसी राजपत्रित अधिकारी, सदस्य लोकसभा, विधान सभा या विधान परिषद द्वारा प्रमाणित आचरण प्रमाण पत्र।
3. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. प्रत्येक विद्यार्थी पासपोर्ट साईज के तीन फोटो तथा आवश्यकतानुसार आवेदन पर तथा प्रवेश उपरान्त परिचय-पत्र न लगायें।
5. यदि छात्र/छात्रा किसी पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाणित प्रमाण-पत्र जो तहसीलदार द्वारा किया गया हो जिसमें छात्र के पिता की आय भी दर्शायी गई हो।
6. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बिना प्रवेश सामथिक होंगे।

प्रवेश पर प्रतिबन्धः

1. यदि कोई प्रवेशार्थी विगत सत्र में अनुशाासनहीनता अथवा परीक्ष्ज्ञा-काल में अनुचित साधन के प्रयोग अथवा उदण्डता का दोषी रहा हो तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा के अन्तर्गत अनुचित साधन के प्रयोग में पकड़े गये हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड की समाप्ति पर भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. उन विद्यार्थियों को जिन्होनें प्राचार्य अथवा अनुशासन समिति की जानकारी के अनुसार कभी हड़ताल, आन्दोलन और प्रदर्शन इत्यादि में भाग लिया है, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेख में अपराधी है अथवा आपराधिक मुकदमें में शामिल है प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।
5. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में न बैठा (उसने ड्राप किया हो) या बैठा हो किन्तु अनुत्तीर्ण हो गया हो उसे पुनः उसी कक्षा में संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. यदि विद्यार्थी ने स्नातक परीक्षा का कोई भाग किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो उसे प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि सम्बन्धित विषय बोर्ड ऑफ स्टडीज के संयोजक एवं संकाय अधिष्टाता की संस्तुति तथा प्रवेश समिति का अनुमोदन न हो।
7. दूसरी उच्च कक्षा में प्रवेश की अनुमति दो वर्ष के अन्तराल होने के उपरान्त नहीं दी जायेगी, किन्तु यू0एफ0एम0 के केवल प्रयोगिक विषयों के छात्रों को उतना समय (वर्ष) अधिक मिलेगा जितने समय (वर्ष) तक वह परीक्षा से वंचित किये जायेंगे।
8. स्नातक परीक्षा का कोई एक वर्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने वाले छात्र को अगले वर्ष संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

प्रवेश का निरस्तीकरणः

1. प्रवेश के उपरान्त यदि पाया जाता है कि प्रवेशार्थी ने कोई सूचना गलत दी है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि किसी भी अवस्था में कोई बात प्रकाश में आती है जो छात्र को संस्था में प्रवेश का अनाधिकारी बनाती है जैसे- दुराचरण, अनुशासनहीनता, अनैतिकता आदि तो उसका प्रवेश किसी भी समय परीक्षा तक निरस्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में शुल्क वापसी नहीं दी जायेगी।
3. प्राचार्य को अधिकार है कि वह महाविद्यालय के हित में बिना कोई कारण बताये किसी भी छात्र का प्रवेश निरस्त कर सकता है।

4. ऐसे किसी भी प्रवेशार्थी को जिसके विरुद्ध कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा होगा, अथवा जिसे न्यायालय द्वारा दण्ड प्राप्त हो चुका होगा, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी इस तथ्य को छिपाकर प्रवेश पा लेता है तो भी तथ्य प्रकट होते ही उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय का समयः

सामान्यतः महाविद्यालय का समय प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक रहेगा। बी0एड0 के विद्यार्थियों के प्रैक्टिस टीचिंग की समय-सारणी प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी। उनका निर्णय अन्तिम होगा।

पाठ्यक्रम

कला संकाय

प्रत्येक छात्र/छात्रा को बी0ए0 प्रथम वर्ष में चार विषय लेना आवश्यक है उनमें अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त निम्न में से कोई तीन विषय लेने चाहिए-

1. हिन्दी साहित्य, 2. अंग्रेजी साहित्य, 3. अर्थशास्त्र, 4. शिक्षाशास्त्र, 5. समाजशास्त्र, 6. राजनीतिशास्त्र, उर्दू

शिक्षा संकाय (बी0एड0)

बी0एड0 सभी अनिवार्य प्रश्न पत्र

टिप्पणी: पंचम प्रश्नपत्र में शिक्षण के निर्धारित 11 विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, सामाजिक विषय, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गणित में से कोई दो विषय सुविधानुसार प्रदान किये जायेंगे।

बी0एड0- विषय

अनिवार्य विषयः

1. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा
2. अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
3. भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास
4. शैक्षिक तकनीकी के तत्व एवं प्रबन्ध

ऐच्छिक विषयः

1. शैक्षिक एवं मानसिक मापन
2. शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन
3. शैक्षिक पर्यावरण

शिक्षण विषयः- स्नातक स्तर के कोई दो विषय

1. हिन्दी शिक्षण 2. अंग्रेजी शिक्षण 3. संस्कृत शिक्षण 4. सामाजिक अध्ययन शिक्षण
5. वाणिज्य शिक्षण 6. कम्प्यूटर शिक्षण 7. गणित शिक्षण 8. गृह विज्ञान शिक्षण
9. विज्ञान शिक्षण 10. जीव विज्ञान शिक्षण

प्रयोगात्मक :

1. क्रियात्मक अनुसन्धान/व्यक्ति अध्ययन
2. स्काउटिंग और गाइडिंग
3. सामुदायिक कार्य
4. सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता
5. शारीरिक शिक्षा- खेलकूद
6. शिक्षण कौशल/शिक्षण अभ्यास
7. प्रत्येक शनिवार (शैक्षिक दिवस में) को सेमिनार का आयोजन
8. शैक्षिक उद्देश्य पूर्ति हेतु- शैक्षिक भ्रमण

महाविद्यालय में बी0ए0 (प्रथम वर्ष) तथा तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु विषयों का चुनाव निम्नलिखित वर्गों के आधार पर होगा-

वर्ग 1	वर्ग 2	वर्ग 3
हिन्दी भाषा	हिन्दी साहित्य	अर्थशास्त्र
सामान्य अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य	समाजशास्त्र
	उर्दू	राजनीतिशास्त्र
		शिक्षाशास्त्र

नोट-

1. वर्ग 1 में से एक विषय लेना अनिवार्य है। (हिन्दी भाषा या सामान्य अंग्रेजी)
2. वर्ग 2 और 3 में से कोई तीन विषय ले सकते हैं।
3. प्रत्येक विषय में मैरिट के आधार पर चुनाव होगा।
4. विषय सम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्रवेश-समिति के पास सुरक्षित होगा।
5. विषय- सहमति एक बाद देने के उपरान्त विषय-परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक उस विषय के सम्बन्धित शिक्षकों की सहमति न हो जाये तदोपरान्त प्राचार्य की अनुमति भी आवश्यक है।
6. विषय परिवर्तन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक तक ही हो सकता है।
7. बी0ए0 द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अपने विषयों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
8. बी0ए0 तृतीय वर्ष में हिन्दी भाषा या सामान्य अंग्रेजी का विषय नहीं रहेगा अन्य वैकल्पिक तीन विषयों में से दो रखना अनिवार्य होंगे।

टिप्पणीः महाविद्यालय में प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए सीधा प्राचार्य/चीफ प्रॉक्टर से सम्पर्क करें।

प्राचार्य : डा0 शैलेन्द्र कुमार
मो. 9997144595

विद्यार्थियों को निर्देशः

1. प्रवेश हो जाने के बाद प्रत्येक प्रवेशार्थी को अनुमति पत्र दिया जाता है। विद्यार्थी को उस प्रपत्र के द्वारा विभिन्न विषयों में सम्बन्धित प्राध्यापकों के पास अपना नाम लिखवाना चाहिए।
2. प्रवेश के समय जमा किए गए शुल्क की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी भले ही प्रवेशार्थी कक्षा में एक भी दिन उपस्थित न रहा हो।
3. किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय में सामयिक प्रवेश नहीं दिया जायेगा परन्तु भूतपूर्व छात्रों को जिनके पास प्रयोगिक विषय है महाविद्यालय में तीन माह का शिक्षण शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रयोगशाला में दिसम्बर माह से कार्य करने की अनुमति मिल सकती है, जो अनिवार्य रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है।
4. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान केवल चेक द्वारा ही किया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य है जिसे प्रतिदिन कॉलेज में अपने साथ रखना होगा। परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर 50 रू0 मूल्य देकर तथा अपनी कक्षा के प्रध्यापक से इस आशय का प्रार्थना-पत्र अग्रसारित करवाकर दूसरा परिचय-पत्र बनवाया जा सकेगा।
6. महाविद्यालय छोड़ने के उपरान्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र लेने के लिए अन्तिम परीक्षा की मूल अंक तालिका दिखानी होगी तथा उसकी दो छायाप्रतियां और 2 रूपये शुल्क अनिवार्य होगा।

परीक्षा फार्म भरने एवं देय-मुक्ति प्राप्त करने इत्यादि के सम्बन्ध में नियम

1. परीक्षा फार्म पूर्णरूपेण भरकर कार्यालय में जमा करना विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। फार्म जमा करने की तिथि सूचना पट पर घोषित कर दी जायेगी।
2. केवल उन्हीं विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली को भेजे जायेंगे, जिन्होनें शुल्क की अन्तिम किश्त निर्धारित समय तक जमा कर दी है एवं कार्यालय से रसीद प्राप्त कर ली है।
3. परीक्षा-फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि का पूरी तरह पालन होता है यदि उस समय तक परीक्षा फार्म और शुल्क की अन्तिम किश्त जमा नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जायेगा।
4. परीक्षा फार्म जमा करते समय कार्यालय के शुल्क लिपिक से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
5. फरवरी माह में परीक्षा का प्रवेश-पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय शुल्क लिपिक से देय-मुक्ति पर भी हस्ताक्षर करा लें।
6. पुस्तकालय से देय-मुक्ति फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक करा लें क्योंकि परीक्षा के (प्रवेश-पत्र) अनुक्रमांक प्राप्त करने के लिए देय-मुक्ति कराना अनिवार्य है।
7. पुस्तकालय से देय-मुक्ति करने के उपरान्त किसी भी छात्र/छात्रा को कोई भी पुस्तक आदि नहीं मिलेगी।

विशेषः

1. इस कालेज में छात्र संघ नहीं है, जो छात्र/छात्रा संघ के इच्छुक हैं, वे प्रवेश न लें।
2. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है।
3. किसी भी प्रकार का जमा किया शुल्क वापस नहीं होगा।
4. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का हथियार कालेज परिसर में लाना सख्त मना है।
5. प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
6. परीक्षा सुधार के आधार पर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश का नियम विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा घोषित किया जा सकता है।
7. **कालेज परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।**

धन्यवाद

महाविद्यालय स्थापना दिवस 2001 पर जनसभा को सम्बोधित करते प्रबन्धक हाजी श्री सैय्यद शहाब अली

महाविद्यालय स्थापना दिवस 2001 पर जनसभा को सम्बोधित करते प्रो0 जाहिद हुसैन ज़ैदी कुलपति एम.जे.पी.रू.वि., बरेली

सन् 1982 में ताजमहल होटल में शहाब एजूकेशन ट्रस्ट की स्थापना में माननीय महाराष्ट्र राज्य मंत्री असीर अहमद । उनके साथ सैय्यद शाहिद अली एवं सैय्यद ज़ाहिद अली

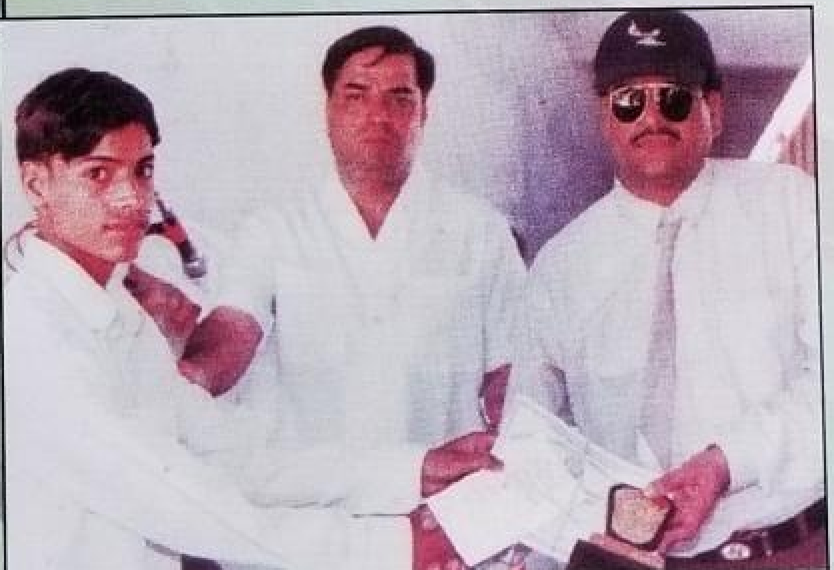

पुरस्कार वितरित करते हुये सैय्यद जाहिद अली एवं सैय्यद साजिद अली

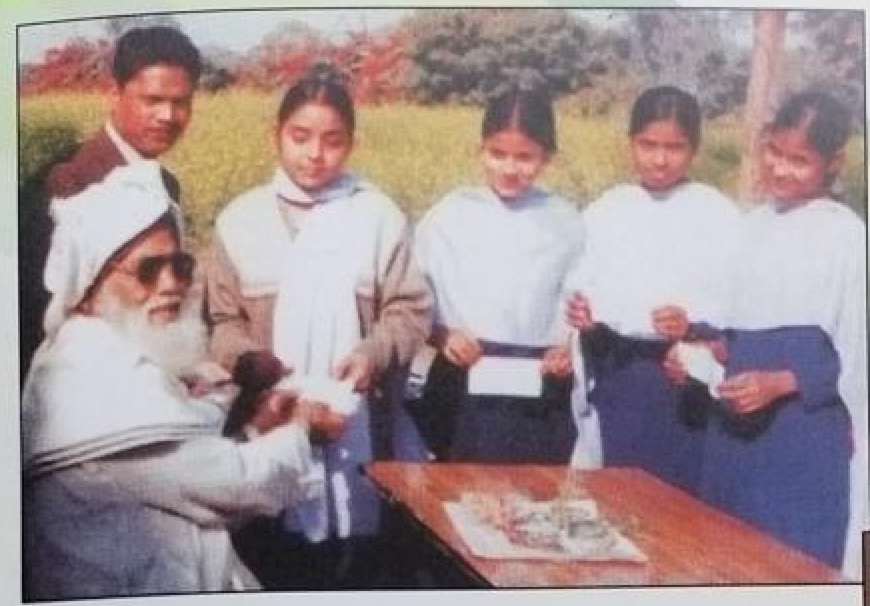

छात्रवृत्ति वितरित करते प्रबन्धक
सैय्यद शहाब अली

बी.एड. स्काउट गाइड के साथ
प्रबन्ध समिति

बी.एड. स्काउट गाइड शिविर का
उद्‌घाटन करते सैय्यद शहाब अली

कालेज के संस्थापक सैय्यद को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

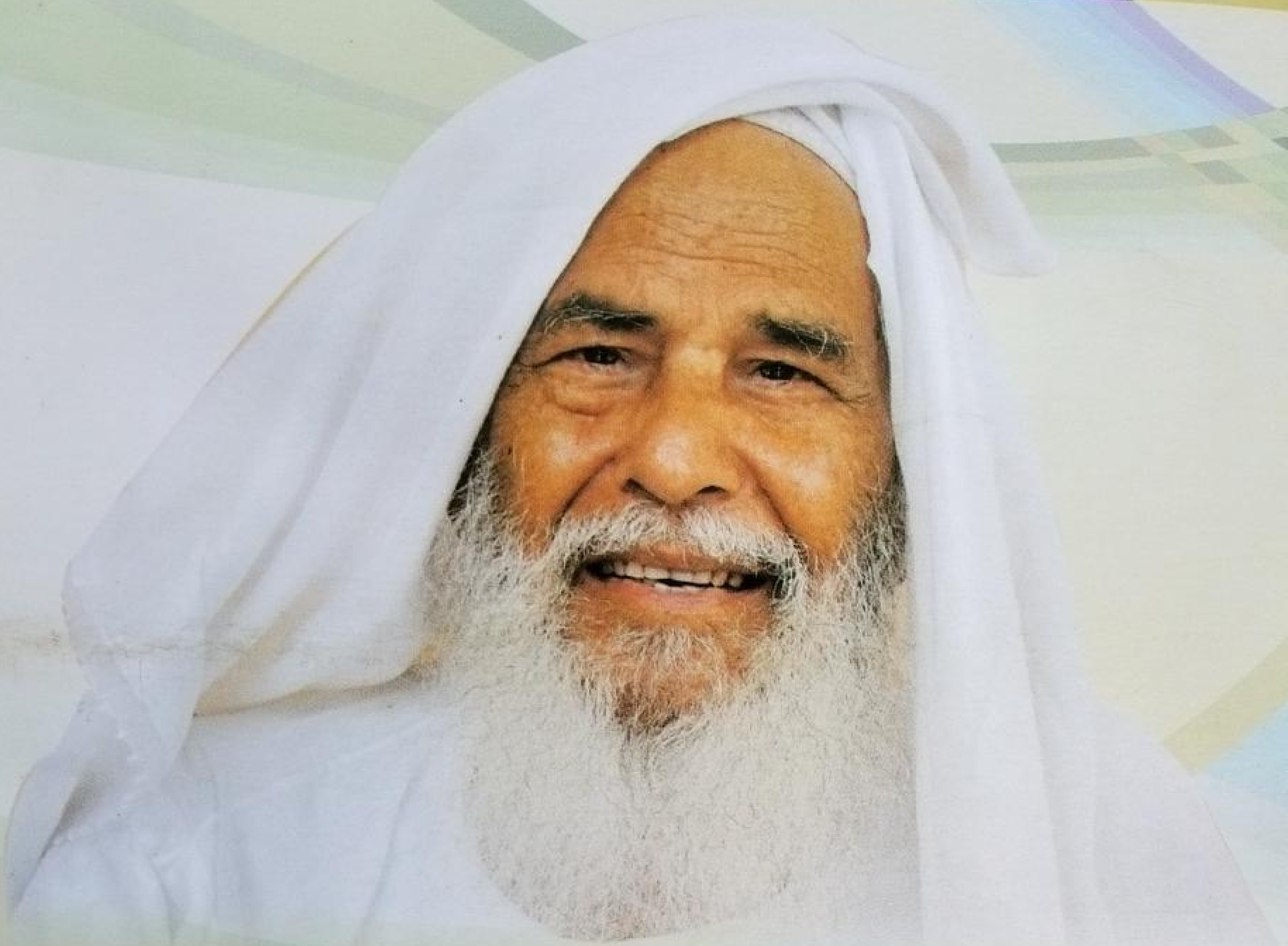

सैय्यद शहाब अली

प्रबन्धक

प्रबन्ध समिति

सैय्यद शाहिद अली

सैय्यद जाहिद अली

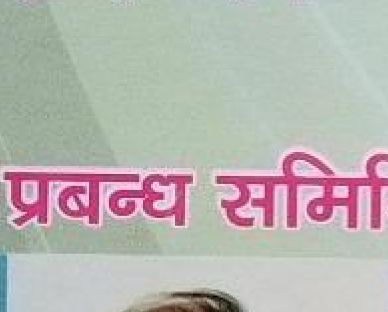

सैय्यद साजिद अली

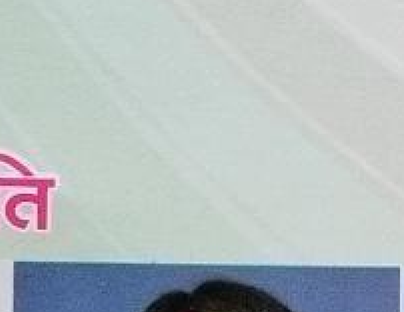

सैय्यद मुज़ाहिद अली

सैय्यद फतेह अली